न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या :-77/2018/भीलवाड़ा

1. चांद खां पुत्र दाउल खां जाति पिनारा मुसलमान निवासी करजालिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा।

........अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमति रजिया पुत्री आलम पत्नि ईदमोहम्मद जाति पिनारा मुसलमान निवासी करजालिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

2. सरपंच ग्राम पंचायत करजालिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

...........अप्रार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी आसीन्द राजस्व लोक अदालत करजालिया जिला भीलवाड़ा दिनांक 17.05.2018 अपील संख्या 04/2015 उनवानी श्रीमति बनाम चांद मोहम्मद में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0ः–श्री एम0एल0 गुर्जर (अपीलांट अभि0)
रेस्पो0 अभि0ः–श्री शोकिन्दलाल गुर्जर

निर्णय दिनांकः–24.11.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम करजालिया तहसील आसिन्द जिला भीलवाड़ा द्वारा के खसरा नम्बर 742,743,746,747,835 कुल किता 5 कुल रकबा 2.24 हे0 भूमि धापू पत्नि आलम के नाम खातेदारी में दर्ज थी। रेस्पो0 संख्या 1 की माता द्वारा अपने जीवनकाल में एक रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर अपीलांट चांदखां को गोद रखा था। उक्त गोदनामें के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट चांदखां के पक्ष में नामातंरण संख्या 489 दिनांक 20.07.2007 को भूमि दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त नामातंरण आदेश से व्यथित होकर रेस्पो0 नम्बर 1 रजिया द्वारा एक अपील उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के समक्ष प्रस्तुत की। उक्त अपील को उपखण्ड अधिकारी द्वारा लोकअदालत कैम्प करजालिया में नियत कर बाद सुनवाई रजि[illegible] अपील को स्वीकार करते हुए नामातंरण संख्या 489 दिनांक 20.07.2007 को [illegible] करने का आदेश जारी किया गया। वर्तमान अपील उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के प्रकरण संख्या 04/2015 दिनांक 17.05.2018 के विरूद्ध निम्न आधार पर [illegible] करवायी है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:52 IST
Reason: SelfAttested

1. अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

2. गोदनामा दिनांक 24.01.1998 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा नहीं माना गया।

3. मौके पर अपीलांट काबिजकाश्त है और गोदनामा किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। रेस्पो0 द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष बहुत देर से आठ साल बाद अपील प्रस्तुत की गई है। उनको मियाद के बिन्दु को निर्णित करने के बाद अग्रिम कार्यवाही करनी थी जो नहीं की गई है।

4. एक नियमित राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी के यहां विचाराधीन है। अपील स्वीकार की जायें तथा उपखण्ड अधिकारी आसीन्द द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.05.2018 को निरस्त किया जायें।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम, एक प्रार्थना पत्र नियम 17 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल तथा स्थगन बाबत एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों0 को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब कर मगंवाया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई, बहस में वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि मुस्लिम समाज ने गोद को अलाउ किया गया गया है। ऐसा उच्चतम न्यायालय का फैसला आया हुआ है। रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर नामातंरण 2007 में ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट के पक्ष में स्वीकृत किया गया था। रेस्पो0 द्वारा अपील 2015 में की गई है। मियाद अवधि के प्रार्थना पत्र में देरी के कारण रेस्पो0 के द्वारा नहीं बताये गये थे। धारा 5 का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश नहीं किया गया है। सिर्फ अपील मीमौ में प्रस्तुत किया गया है। वकील अपीलांट द्वारा इस बाबत न्यायिक दृष्टांत 2002 आरआरडी पेज 26 का अवलोकन किया गया। अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

वकील रेस्पो0 ने बहस में बताया कि जमीन रजिया के पिता आलम की खातेदारी की है। आलम की मृत्यु के बाद जमीन उसकी माता धापू पत्नि आलम के नाम दर्ज हुई। धापू की मृत्यु के बाद रेस्पो0 रजिया के नाम नामातंरण खुलना चाहिए था। चांदखां को कभी गोद नहीं लिया गया। गोदनामें का कही भी अस्तित्व ही नहीं है। पत्रावली पर कही भी अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड गोदनामा उपलब्ध नहीं हैं जबकि गोदनामा रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना वारिसान जांच किये नामातंरण स्वीकार किया गया था। वर्तमान अपील बहुत देरी से प्रस्तुत की गई है। उपखण्ड अधिकारी निर्णय दिनांक 01.05.2018 का था। उक्त निर्णय के समय एडवोकेट उपस्थित थे। धारा 5 मेरे द्वारा लिखित जवाब पेश किया गया। उच्च न्यायालय ने तीन दिन के देरी को भी नही माना। अपीलांट तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:52 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामातंरण, अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट प्रार्थी के अनुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.05.2018 की सूचना उसके अधिवक्ता द्वारा उसे नहीं दी गई थी। सर्वप्रथम इस बाबत जानकारी दिनांक 26.09.2018 को उसे पटवारी के द्वारा बताये जाने से हुई इस पर निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए दिनांक 27.09.2018 को आवेदन कर उसी दिन नकल प्राप्त की गई तथा शीघ्र अपील तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। अपील में प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जायें। जानकारी दिनांक के बाद दिनांक 15.10.2018 को अपील न्यायालय हाजा में दर्ज करवाया जाना पाया गया था। जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामातंरण संख्या 489 दिनांक 20.07.2007 की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया हुआ है। जो अभी प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रमाणित प्रति पेश करने में छूट प्रदान की जायें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु अपीलांट द्वारा प्रयास किया जा रहा है और उसे अभी प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रार्थी को प्रमाणित पेश करने में छूट दी जाती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार वह मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अपीलाधीन आदेश की पालना को स्थगित नहीं किया जायेगा तो अप्रार्थी रेस्पो0 राजस्व रिकोर्ड अमल–दरामद करवाने पर प्रार्थी को भूमि से बेदखल कर मौके पर काबिज होकर भूमि का अन्य व्यक्तियों को बेचान कर देगें। जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। सुविधा का संतुलन एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2018 की पालना को स्थगित रखते हुए मौके एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखी जायें।

नामातंरण संख्या 489 ग्राम करजालिया का अवलोकन किया गया। उक्त नामातंरण के कॉलम नम्बर 7 में धापू बेवा आलम पिनारा साकिनदेह खातेदार रहन बैंक ऑफ वड़ौदा शाखा दौलतगढ़ के नाम दर्ज है। इसी नामातंरण के कॉलम नम्बर 2 में चांद खा मु0आलम पिनारा साकिनदेह खातेदार रहन बी0ओ0बी0 शाखा दौलतगढ़ अंकित है। इसी नामातंरण के कॉलम नम्बर 16 में गोदनामा के आधार पर नामातंरण की कार्यवाही किया जाना प्रकट होता है। गिरदावर द्वारा जांच करना पाया जाता है। उनके द्वारा यह लिखा हुआ है कि जांच की, मृत्युप्रमाण पत्र एवं गोदपत्र द्वितीय पक्ष के सहमति पत्र के अनुरूप इन्द्राज दुरूस्त है। भाईयों की सहमति के आधार पर उक्त नामातंरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:52 IST
Reason: SelfAttested

नामातंरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी, गिरदावर द्वारा वारिस की कोई जांच नहीं किया जाना पाया जाता है। उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के निर्णय दिनांक 17.05.2018 का अवलोकन किया गया। उनके निर्णय के अनुसार नामातंरण संख्या 489 दिनांक 20.07.2007 को निरस्त किया जा चुका है तथा उनके द्वारा उक्त प्रकरण विधिसम्मत कार्यवाही हेतु तहसीलदार आसीन्द को रिमाण्ड किया गया तथा उनके द्वारा भी यह माना गया है कि धापू के कौन वारिस है, इसकी कोई भी जांच राजस्व ऐजेन्सी द्वारा नहीं करवायी गई तथा ग्राम पंचायत से उक्त नामातंरण स्वीकृत करवाया। बिना वारिसों की जांच के खोला गया उक्त नामातंरण किसी भी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। वकील रेस्पो0 ने तो बहस के दौरान यहां तक कहा है कि ऐसा कोई गोदनामा अस्तित्व में ही नहीं है। जो धापू द्वारा चांदखां के पक्ष में लिखा गया है। अपीलांट चाहे तो इस बाबत यदि कोई दस्तावेज इनके पास हो तो तहसीलदार के समक्ष रिमाण्ड कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत कर चाराजोई कर सकता है। समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि जिस आधार पर नामातंरण खोला गया था उस आधार से संबंधित दस्तावेज पत्रावली पर है ही नही ना ही अपील की कार्यवाही के दौरान दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र भी खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2018 अन्तर्गत प्रकरण 4/2015 बउनवानी श्रीमती रजिया बनाम चांद मोहम्मद द्वारा उपखण्ड अधिकारी आसीन्द में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 17.05.2018 यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 24.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:52 IST
Reason: SelfAttested